# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या 282/2019 निर्णय दिनांक :– 15.09.2022

उनवानी प्रार्थना पत्र :

रूघा पुत्र मांग्या जाति बैरवा उम्र 62 वर्ष निवासी गांवडी तहसील देवली जिला टोंक (राज0)

–प्रार्थी–

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील देवली जिला टोंक।
2. बजरंगलाल पुत्र कल्याण जाति बैरवा उम्र 60 वर्ष निवासी गांवडी तहसील देवली जिला टोंक राज0।
3. गलकू पुत्री कल्याण जाति बैरवा उम्र 62 वर्ष निवासी गांवडी तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. हंगामी पुत्री कल्याण जाति बैरवा उम्र 56वर्ष निवासी गांवडी तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. बदाम पुत्री कल्याण जाति बैरवा उम्र 51 वर्ष निवासी गांवडी तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. जगन्नाथ पुत्र मांग्या जाति बैरवा उम्र 65 वर्ष निवासी गांवडी तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया देवली।

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–
श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 2 ता 6
पेरोकार सरकार

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, एल.आर. एक्ट 1956

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण नं0 2 ता 6 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 117 ख0नं0 232 रकबा 0.53 है0 भूमि वाके ग्राम गांवडी

तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। उक्त आराजीयात में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है एवं अप्रार्थीगण नं0 2 ता 6 का पृथक है एवं संयुक्त रूप से शेष हिस्सा है। उक्त आराजीयात प्रार्थी की पैतृक भूमि है ओर उक्त आराजीयात में प्रार्थी का नाम सहवन से लोडक्या पुत्र मांग्या अंकित कर दिया गया है जो गलत है प्रार्थी का अन्य भूमि/खाते में राजस्व रिकार्ड में नाम रूघा पुत्र मांग्या है एवं अन्य सभी दस्तावेजात में रूघा पुत्र मांग्या दर्ज है लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से उक्त आराजीयात में रूघा की बजाय लोडक्या दर्ज कर दिया जो गलत है। प्रार्थी के अलावा लोडक्या पुत्र मांग्या नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है एवं प्रार्थी की उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि से अन्य कोई व्यक्ति का सरोकार नही है उक्त आराजीयात में प्रार्थी का ही संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। प्रार्थना पत्र के चरण नं0 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का नाम लोडक्या पुत्र मांग्या की बजाय रूघा पुत्र मांग्या दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है ताकि प्रार्थी के नाम अन्य भूमि एवं सभी दस्तावेजात में नाम हो एवं प्रार्थी को उक्त आराजीयात में राजस्व रिकार्ड में लोडक्या होने के कारण परेशानी का सामना नही करना पडे। इस कारण प्रार्थी का नाम लोडक्या के बजाय रूघा पुत्र मांग्या जाति बैरवा निवासी गांवडी दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण नं0 2 ता 6 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 117 ख0नं0 232 रकबा 0.53 है0 भूमि वाके ग्राम गांवडी तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है प्रार्थी का नाम लोडक्या के बजाय रूघा पुत्र मांग्या जाति बैरवा निवासी गांवडी दर्ज किया जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण 2 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनिल शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया परन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं हाने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार सरकार द्वारा बिन्दुवार जवाब पेश किया गया जो इस प्रकार हैः—बिन्दु नं0 1 :— चरण प्रथम स्वीकार है। वादी व प्रतिवादी की संयक्त खातेदारी की भूमि ग्राम गांवडी तहसील देवली में स्थित है। बिन्दु नं0 2 :— वादी का कथन है कि प्रार्थी की पैतृक भूमि में लोडक्या पुत्र मांग्या गलत दर्ज हो गया है जबकि वादी ने लोडक्या पुत्र मांग्या कैसे दर्ज

हुआ, विरासत से या अन्य दस्तावेजो से साक्ष्य पेश नही किया है। नाम सही होने के ठोस साक्ष्य पेश करे। बिन्दु स्वीकार नहीं है। बिन्दु नं0 3 :– वादी द्वारा लोडक्या पुत्र मांग्या नाम को कोई अन्य व्यक्ति है या नहीं स्वयं वादी पेश करे। बिन्दु स्वीकार नही है। बिन्दु नं0 4 :– चरण चार न्यायालय से संबंधित है। इस प्रकार दावा खारिज़ योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से अधिवक्ता श्रीमती यामिनी सुवालका ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः– प्रार्थना पत्र का चरण नं. 1 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 2 में पैतृक भूमि बाबत जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। इस चरण में राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम लोड़क्या पुत्र मांग्या होना स्वीकार है। तथा लोंडक्या पुत्र मांग्या नाम से ही प्रार्थी ने अप्रार्थी नं. 7 की केसीसी राशि ऋण ले रखा है। यदि न्यायालय द्वारा नाम दुरूस्त किया जाता है तो उससे पूर्व अप्रार्थी नं. 7 की केसीसी राशि जमा करवाई जावे। यदि नाम दुरूस्त कर दिया जाएगा तो अप्रार्थी नं. 7 के द्वारा दिया गया ऋण डूब जायेगी जिससे अप्रार्थी नं. 7 को अपार हानि होगी। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 3 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 4 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थी का नाम दुरूस्त करने से पूर्व प्रार्थी के द्वारा लिया गया ऋण चुकता करवाया जावे। प्रार्थी की अधियाचना गलत है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही अपनी बहस में दोहराया।

पेरोकार सरकार ने अपने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार की बहस व पर मनन किया। अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा पेश जवाब में प्रार्थना की है कि प्रार्थी का नाम दुरूस्त करने से पूर्व प्रार्थी के द्वारा लिया गया ऋण चुकता किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2070–73 वाके

ग्राम गावंड़ी के खाता संख्या 117 में लोड़क्या पुत्र मांग्या का अंकन है जिसको वादी लोड़क्या के स्थान पर रूघा पुत्र मांग्या करवाना चाहता है। अन्य जमाबन्दी सम्वत जमाबन्दी सम्वत 2070–73 वाके ग्राम गावंड़ी के खाता संख्या 118 व 119 मे रूघा पुत्र मांग्या का अंकन है। प्रार्थी ने अपना नाम रूघा होने बाबत शपथ पत्र भी पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 6 जो वादी का भाई है, ने भी न्यायालय की आदेशिका पर नो ऑब्लेक्शन लिखकर अपनी सहमति जाहिर की है। अप्रार्थी संख्या 2 जो वादी का सहखातेदार है, ने भी नो ऑब्जेक्शन लिखकर सहमति जाहिर की है। अतः अन्य राजस्व दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः जमाबन्दी सम्वत 2070–73 वाके ग्राम गावंड़ी के खाता संख्या 117 में दर्ज नाम लोड़क्या पुत्र मांग्या के स्थान पर रूघा पुत्र मांग्या दर्ज करने हेतु अनुमत किया जाता है। प्रार्थी को आदेशित किया जाता है प्रार्थी रूघा पुत्र मांग्या ही बैक का ऋण चुकाने के लिए बाध्य रहेगा। नाम परिवर्तन (शुद्ध) होने पर भी बैक की देनदारी यथावत रहेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर नियमानुसार हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली